प्रेषक, संख्या-23/2017/एस-3-829/दस-2017-34(2)/2017

राजीव कुमार वत्स,
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार निदेशालय, उ0प्र0,
1018-जवाहर भवन, लखनऊ ।

वित्त(सेवायें)अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 24 अगस्त, 2017

विषयः- उपकोषागारों को समाप्त किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1149/14(निर्देश)/2013/को0नि0/प्रावि0 दिनांक 07-07-2017 जो अक्रियाशील उपकोषागारो से सम्बन्धित है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में ई-पेमेंट की व्यवस्था लागू होने तथा समस्त भुगतान कोषागारों के माध्यम से होने के दृष्टिगत उपकोषागारों की सार्थकता नहीं रह गयी है । अतः प्रदेश में उपकोषागारों को समाप्त करने की आवश्यकता पायी गयी है ।

अतः प्रथम चरण में निम्नलिखित 22 अक्रियाशील उपकोषागारो को समाप्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1-खैरागढ़ (आगरा), 2- कासगंज (कांशीराम नगर), 3- घनघटा (संतकबीर नगर), 4-खलीलाबाद (संतकबीर नगर), 5- नौगढ़ (सिद्धार्थनगर), 6- शोहरतगढ़ (सिद्धार्थनगर), 7- कर्वी (चित्रकूट), 8- भिन्गा (श्रावस्ती), 9- इकौना (श्रावस्ती), 10- लम्भुआ (सुल्तानपुर), 11-गौरीगंज (अमेठी), 12- बरहज (देवरिया), 13- भाटपाररानी (देवरिया), 14- कसया (कुशीनगर), 15- तमकुहीराज (कुशीनगर), 16- माधौगढ़ (जलौन), 17-अमृतपुर (फर्रूखाबाद), 18- तिर्वा (कन्नौज), 19-ऊंचाहार (रायबरेली), 20- शिकारपुर (बुलन्दशहर), 21-गुलावठी (बुलन्दशहर), 22- जेवर (गौतमबुद्धनगर)

कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(राजीव कुमार वत्स)
अनुसचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पत्र संख्या एवं दिनांक तदैव,

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

2- महालेखाकार, आडिट, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

3- निजी सचिव, मा0वित्त मंत्री जी, उ0प्र0शासन ।

4- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/2, वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग-1/2

5- वित्त(सेवायें)अनुभाग-2, वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

6- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी

7- वित्त संसाधन (सामान्य)अनुभाग एवं गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार वत्स)
अनुसचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।